

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-9308 ए/ 5205

दिनांक : 01-12-2021

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला ।

विषय : Diversion of 0.165 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division, No. 1, PWD B&R, Ambala Cantt. for widening and strengthening of link road from Ambala-Hisar road to Balana to Punjab Border (Km. 0.927 to Km. 1.827), under forest division and District Ambala, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Road/41383/2019

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको भारत सरकार के पत्र क्रमांक 9-HRB154/2021-CHA दिनांक 24.09.2021 की प्रति संलग्न भेजते हुए लिखा जाता कि संलग्न पत्र के मद्द संख्या (i)&(ii) की सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भेजे तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी प्रोपर लिंक के तहत सूचना अपलोड की जाए ।

संलग्न/उपरोक्त

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
हरियाणा, पंचकुला ।






सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional
Office, Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-HRB154/2021-CHA

दिनांक: 24.09.2021

सेवा में,

नोडल ऑफिसर एवं वन संरक्षक (एफ सी),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.165 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD (B&R) Ambala Cantt for widening and strengthening of link road from Ambala-Hissar road to Balana to Punjab Border (km 0.927 to 1.827), under forest division and District Ambala, Haryana. (online proposal no. FP/HR/ROAD/41383/2019)

सन्दर्भ: 1. नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9308 A/4038 दिनांक 10.09.2021.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 4.35 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे |

- Number of plants required to be felled to be confirmed. In CF inspection report, no. of saplings to be destroyed is mentioned as 6740 whereas all other documents shows NIL plants.
- Area required for diversion to be confirmed. In CF inspection report, existing width of road is mentioned as 7.32 and after widening it will be 9.5m, i.e., 2.18 m width is required for widening whereas in area calculation width is shown as 1.84 m.
- Enumeration list of no. of trees to be felled to be provided.

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

-sd-

(सी० डी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

IRO, MoEF&CC, Chandigarh